न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :- 1/2024 दायरा दिनांक 12.01.2024
GCMS No. 2024/01

पीठासीन अधिकारी :- श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. मुकेश पुत्र छीतरमल जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला-बारां
2. सोनू पुत्र हरिप्रसाद जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां
3. रिंकेश पुत्र हरिप्रसाद जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां
4. अलका पुत्री हरिप्रसाद पत्नि लोकेश कुमार गर्ग जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां हाल समरानियां तहसील शाहबाद जिला-बारां राज.
5. सुरेश पुत्र भगवतीप्रसाद जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां
6. महेश पुत्र भगवतीप्रसाद जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां
7. मंजू पुत्री भगवतीप्रसाद पत्नि सुनील जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां हाल निवास शिवपुरी (मध्यप्रदेश)

— अपीलाण्ट्स

बनाम

1. बालमुकन्द पुत्र कोमल जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां राज0
2. राजकमल पुत्र कोमल जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां राज0
3. रानी पुत्री मोहनप्रसाद पत्नि प्रकाश गुप्ता जाति महाजन निवासी विष्णुपुरा तहसील बमोरी जिला गुना (मध्यप्रदेश)
4. हरिओम पुत्र छीतरमल जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
5. विष्णुप्रसाद पुत्र बद्री जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां हाल निवास राघवेन्द्र नगर गुप्ता टाइल्स वालों के पास शिवपुरी (मध्यप्रदेश)
6. मुन्नी बाई पुत्री बद्री पत्नि कामताप्रसाद जाति महाजन निवासी देवरी हाल निवास श्रीराम कालोनी डा. आर.के जैन के पास शिवपुरी (मध्यप्रदेश)
7. चन्द्रा पुत्री बद्री पत्नि सुरेश जाति महाजन निवासी देवरी हाल निवास कटरा बाजार मगरोनी जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)
8. सरपंच ग्राम पंचायत देवरी पंचायत समिति व तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला-बारां राजस्थान

— रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :-

श्री हेमराज नामदेव — अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांक 18.11.2024

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नम्बर 2849 आदेश दिनांक 12.07.2021 ग्राम देवरी

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी इंतकाल नम्बर 2849 दिनांक 12.07.2021 ग्राम देवरी को निरस्त करने बाबत इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रमाणित किया गया इंतकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम देवरी पटवार हल्का देवरी तहसील शाहाबाद के खाता संख्या 428 में आराजी खसरा संख्या 387 रकबा 6.11 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जो अपीलाण्टस तथा रेस्पो. कम 1 लगायत 7 के नाम संयुक्त खाता दर्ज रही है।

उक्त आराजी में से रकबा 1.01 बीघा भूमि को प्रश्नगत नामान्तरकरण के जरिये समर्पण के आधार पर किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन आबादी के रूप में ग्राम पंचायत देवरी के नाम दर्ज कर दिया है, जिसे इस अपील में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है।

उक्त विवादित आराजी रकवा 1.01 बीघा को अपीलाण्टस ने कभी समर्पण नहीं किया है और ना ही अपीलाण्टस ने आज तक कभी कोई समर्पणनामा तहरीर कराया है और ऐसा कोई दस्तावेज अपीलाण्टस ने कभी भी अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित नहीं किया है, यदि इस तरह का कोई समर्पण दस्तावेज है तो वह एकदम फर्जी तथा कूटरचित है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टस के सहखाते की उक्त आराजी कुल 6.11 बीघा में से विवादित रकबा 1.01 बीघा को सर्वथा गलत तौर पर विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत नामान्तरकरण के जरिये गै. मु. आबादी के रूप में संपरिवर्तन कर ग्राम पंचायत देवरी के नाम दर्ज कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलाण्टस ने अपने खाते की उक्त भूमि 6.11 बीघा में से कभी भी किसी भी रकबे को समर्पण नहीं किया है और ना ही संपरिवर्तन अथवा समर्पण किये जाने बावत कभी कोई आवेदनपत्र अथवा अपनी संस्वीकृति ही प्रदान की है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बाला–बाला अपीलाण्टस को कोई सूचना दिये बिना अज्ञात लोगों से मिलकर फर्जी तथा कूटरचित समर्पण के आधार पर उक्त विवादित आराजी 1.01 बीघा को गै.मु. आबादी के रूप में ग्राम पंचायत देवरी के नाम दर्ज कर दिया है. इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

दिनांक 30–11–2023 को हल्का पटवारी के पास जाकर रिकार्ड देखने पर सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि समर्पण के जरिये 1.01 बीघा भूमि ग्राम पंचायत देवरी के नाम आबादी में दर्ज कर दी गई है। ज्यों ही पता चला कि अपीलाण्टस ने अधीनस्थ न्यायालय तहसील कार्यालय शाहबाद में दिनांक 30–11–2023 को तथाकथित फर्जी समर्पणनामा, तहसीलदार के आदेश दिनांक 03–03–2021 तथा समर्पण आवेदनपत्र की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 18–12–2023 को तहसीलदार शाहबाद ने अपीलाण्टस को सूचना दी कि उक्त समर्पण से सम्बन्धित रिकार्ड उनके कार्यालय में मौजूद नहीं है, अतः वांछित सूचना देना संभव नहीं है। इससे भी साबित है कि कोई समर्पण का आवेदन अथवा दस्तावेज मौजूद नहीं होते हुये भी सर्वथा फर्जी तथा कूटरचना कर अपीलाण्टस के साथ छल करते हुये खातेशुदा भूमि में से 1.01 बीघा कृषि भूमि को किस्म परिवर्तन कर ग्राम पंचायत देवरी के नाम दर्ज कर अपीलाण्टस को सदोष हानि पहुंचाई गई है. इस बावत फौजदारी कार्यवाही प्रथक से की जावेगी। अतः प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

दिनांक 30–11–2023 को हल्का पटवारी के पास जाकर रिकार्ड देखने पर अपीलान्टस को प्रश्नगत नामान्तरकरण का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ, ज्यों ही सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि उसी दिन तहसील कार्यालय में तथाकथित समर्पण आदेश आवेदनपत्र की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन कर दिया दिनांक 18.12.2023 को तहसील कार्यालय से रिकार्ड नहीं होने की सूचना प्राप्त होने पर हल्का पटवारी से दिनांक 05–01–2024 को प्रश्नगत्त नामान्तरकरण जमाबंदी की नकल प्राप्त कर आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर सर्वप्रथम जानकारी होने की तिथी से अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव मे क्षमा किये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडण्ट क्रम 4 ता 8 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडण्ट क्रम 1 ता 3 ने उपस्थित होकर निम्न अपील जबाव पेश किया जिसमें अपील की मद नम्बर 1 से 5 स्वीकार की हैं तथा मद नम्बर 6 में अंकित तथ्यों की जानकारी नहीं है। मद नम्बर 7 कानूनी है। मद नम्बर 8 स्वीकार है। मद नम्बर 9 कानूनी है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 2849 दिनांक 12.07.2021 निरस्त फरमाया जाकर इस नामान्तरकरण के आधार पर दर्ज रकबा 1.01 बीघा को वापस मूल स्वरूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में जर्ये समर्पण के आधार पर किस्म परिवर्तन कर गैरमुमकीन आबादी के रूप में ग्राम पंचायत देवरी के नाम दर्ज कर दिया है। जो गलत दर्ज किया गया है। अपीलान्ट्स ने कभी समर्पण नहीं किया है और ना ही अपीलान्ट्स ने आजतक कभी कोई सपर्मणनामा तहरीर कराया है और ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट्स ने कभी भी अपने हस्ताक्षरों से निस्पादित नहीं किया है। विधि विरूद्ध तरीके के प्रश्नगत नामान्तरकरण के जरिये गैरमुमकीन आबादी के रूप में समपरिवर्तन कर ग्राम पंचायत देवरी के नाम कर दिया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में जर्ये समर्पण के आधार पर किस्म परिवर्तन कर गैरमुमकीन आबादी के रूप में ग्राम पंचायत देवरी के नाम दर्ज कर दिया है। जो गलत दर्ज किया गया है। अपीलान्ट्स ने कभी समर्पण नहीं किया है और ना ही अपीलान्ट्स ने आजतक कभी कोई सपर्मणनामा तहरीर कराया है और ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट्स ने कभी भी अपने हस्ताक्षरों से निस्पादित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत नामान्तरकरण के जरिये गैरमुमकीन आबादी के रूप में समपरिवर्तन कर ग्राम पंचायत देवरी के नाम दर्ज कर दिया है जिसे खारिज किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम देवरी का नामान्तरकरण संख्या 2849 दिनांक 12.07.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(ज़बर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner